तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रतनसिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी(अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर)** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023 / 159**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.10.23	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही तथा लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा की टिप्पणी पत्रांक 382 दिनांक 26.09.2023 प्राप्त जिसमें उन्होने अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन में एक बिन्दू पर सूचना चाही गई के क्रम में कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 132 दिनांक 02.03.2023 द्वारा जवाब प्रेषित अवगत कराया गया है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रेषित पत्र दिनांक 23.05.2022 के क्रम में आवक रजिस्टर में दर्ज नही है। इस कारण पत्र की सूचना दी जानी संभव नही हो पा रही है। कृपया अपील को खारिज कराने का श्रम करावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पेश कर एक बिन्दू पर सूचना चाही गई थी जिस पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 132 दिनांक 02.03.2023 से अपीलार्थी को एक बिन्दु को सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराया जा चुका है। तथा अपीलार्थी का पत्र दिनांक 23.05.2022 आवक रजिस्टर में दर्ज ही नही है तो सूचना दिया जाना संभव भी नही है। ऐसी स्थिति अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य प्रतीत होती है। अपीलार्थी चाहे तो दुबारा आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (डॉ0आरूषी मलिक) अपीलेट अधिकारी संभागीय आयुक्त, जयपुर।	